25.02.2022:—आज यह पत्रावली पेश आई। पत्रवाली मे प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थन–पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. स्वीकार कर मूल वाद–पत्र को पूनः नम्बर पर लेने के आदेश फरमाये जावे। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायहित है अतः प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है पत्रावली दाखिल दफतर हो। पत्रावली मे मूल वाद–पत्र की पत्रावली तलब करने हेतु पत्र जारी हो। उक्त पत्रावली मूल वाद तलब होने पर वाद के सलग्न की जावें। पत्रावली वादी इन्तजार हेतु दिनांक [illegible].03.2022 को पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Avi Garg
Date: 2022.12.13 11:04:08 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Copy Not Official

Scanned with CamScanner